बारहमासी सड़क योजना
परिपत्र–6

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, द्वितीय तल, ''सी'' ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 4284/MGNREGS-MP/NR-3/2010 दिनांक 28 /04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
   जिला – समस्त मध्यप्रदेश।

विषय :– वर्ष 2013 तक म.प्र. के समस्त बसाहटों को बारहमासी ग्रामीण सड़क से जोड़ने बावत्–प्रशिक्षण

----0----

वर्ष 2013 तक म.प्र. के समस्त बसाहटों को बारहमासी ग्रामीण सड़क से जोड़े जाने का कार्य शासन के पत्र क्र. 2998/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/एनआर–3/2010 दिनांक 27.03.2010 के अनुसार किया जाना है। उक्त योजना राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। यह कार्य प्रोजेक्ट मोड में समय–सीमा में संपादित किया जाना है, अतएव योजना से संबंधित सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योजना क्रियान्वयन के संबंध में लक्ष्य आधारित प्रशिक्षण दिया जाना वांछनीय है। इस हेतु यह परिपत्र जारी किया जा रहा है।

1. प्रशिक्षणार्थी :–

बारहमासी सड़क हेतु प्रशिक्षण निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाना है। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत में पदस्थ प्रोजेक्ट मेनेजर, सहायक प्रोजेक्ट मेनेजर, जिला जनसम्पर्क अधिकारी, सहायक यंत्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, उपयंत्री, लेखा शाखा, मॉनीटरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं मेट्स ।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. **प्रशिक्षण का स्तर :–**

2.1 राज्य स्तर :– कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री को प्रमुख सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निर्देशन में मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मुख्य अभियंता म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा राज्य स्तर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जावेगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग से एक दिन पूर्व समस्त जिला प्रमुखों से योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न आमंत्रित किये जावेंगे, जिससे सामूहिक रूप से वीडियों कांफ्रेसिंग के दौरान जबाव दिये जा सके।

2.2 संभाग स्तर :– संभाग आयुक्त के मार्गदर्शन में अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परियोजना प्रबंधक एवं सहायक परियोजना प्रबंधक ग्रा.यां.से. मण्डल/संभाग/पी.एम.यू. को प्रशिक्षण दिया जावेगा। यह प्रशिक्षण संभाग स्तर पर किया जावेगा।

2.3 जिला स्तर :– कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के मार्गदर्शन में कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से. / परियोजना प्रबंधक पी.एम.यू./महाप्रबंधक पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा परियोजना अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., जिला जनसम्पर्क अधिकारी, सहायक परियोजना प्रबंधक ग्रा.यां.से./पी.एम.यू., मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत एवं चयनित उपयंत्री (बारहमासी सड़क योजना) को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

2.4 जनपद स्तर :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा के दिशा निर्देशन में ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं मेट्स को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

3. **प्रशिक्षण कैसे दिया जावेगा :–**

3.1 संभाग स्तर पर अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, परियोजना प्रबंधक, सहायक परियोजना प्रबंधक का प्रशिक्षण क्लास रूम के माध्यम से दिया जावेगा। कार्यपालन यंत्री एवं सहायक परियोजना प्रबंधक को समय–समय पर फील्ड प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट कराया जावेगा। प्रशिक्षण का स्थल एक्सर्टनल ट्रेनिंग सेन्टर

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

सभागार/कलेक्टर कार्यालय सभागार/मीनी आई.टी.आई. के उपलब्ध हाल का उपयोग किया जावेगा।

3.2 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण की व्यवस्था एस.आई.आर.डी. जबलपुर एवं वाल्मी भोपाल में की जावेगी। चयनित राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर, सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जावेगा। मास्टर ट्रेनर जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, सहायक परियोजना प्रबंधक ग्रा.यां.से/पी.एम.यू., मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत एवं चयनित उपयंत्रियों को क्लास रूम एवं चुनी गई पी.एम.जी.एस.वाय. की सड़क पर प्रशिक्षण देंगे।

3.3 जनपद पंचायत स्तर पर सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं मेट्स को प्रशिक्षण सेटकाम के माध्यम से दिया जावेगा। जनपद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण भवन की उपलब्धतता अनुसार जनपद पंचायत सभागार/बीआरसी भवन में दिया जावेगा।

4. प्रशिक्षण सामग्री :–

म.प्र. शासन द्वारा बारहमासी सड़क पर जारी किये गये परिपत्रों की एक बुकलेट बनाई जाकर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, परियोजना प्रबंधक एवं सहायक परियोजना प्रबंधक एवं उपयंत्री स्तर पर उपलब्ध कराई जावेगी। आई.आर.सी. 77 एवं एस.पी. 20 की प्रति अधीक्षण यंत्री से योजना हेतु चयनित उपयंत्री स्तर तक उपलब्ध कराई जावेगी। ग्राम रोजगार सहायक एवं मेट्स को एनीमेशन फिल्म, चार्ट, पोस्टर एवं पेम्प्लेट दिये जावेंगे ।

5. प्रशिक्षण का टेस्ट :–

प्रशिक्षण दिये जाने के उपरांत अंतिम दिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रश्न पत्र के माध्यम से विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जावेंगे। जिनका मूल्यांकन प्रशिक्षक द्वारा किया जावेगा। जिससे ज्ञात हो सके कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण समुचित रूप से लिया गया है अथवा नहीं।

6. **प्रशिक्षण की आवृत्ति :–** प्रथम प्रशिक्षण अप्रैल माह में दिया जावेगा। इसके पश्चात् वर्षाकाल में प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति की जावेगी।

संलग्नः– 1. ट्रेनिंग केलेण्डर।

2. प्रशिक्षण की विषय वस्तु।

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

क्रमांक 4285 / MGNREGS-MP / NR-3 / 2010 दिनांक 28 / 04 / 2010

प्रतिलिपि–

1. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन भोपाल।
4. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल .....(समस्त)।
7. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू.....समस्त मध्यप्रदेश।
8. कार्यक्रम अधिकारी (समस्त) MGNREGS-MP, जनपद पंचायत..... मध्यप्रदेश।
9. समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ट्रेनिंग केलेण्डर

स. क्र.	प्रशिक्षण का स्तर	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षक	अवधि	प्रस्तावित दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	राज्य	कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा । वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा।	3 घण्टे	माह मई, 2010 का प्रथम सप्ताह। द्वितीय प्रशिक्षण माह अगस्त के दूसरे सप्ताह में।
2	संभाग स्तर	संभाग आयुक्त के मार्गदर्शन में कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से., परियोजना प्रबंधक एवं सहायक परियोजना प्रबंधक ग्रा.यां.से./पी.एम.यू.	अधीक्षण यंत्री ग्रा.यां.से.	1 दिवस	संभागीय मुख्यालय पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। द्वितीय प्रशिक्षण माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में।
3A	जिला स्तर	परियोजना अधिकारी जिला जन संपर्क अधिकारी सहायक परियोजना प्रबंधक ग्रा.यां.से./पी.एम.यू., मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं चयनित उपयंत्री।	महाप्रबंधक पी.एम.जी. एस.व्हाय. एवं कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से.	1 दिवस	एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 26/05/2010 से 28/05/2010 के किसी भी दिन द्वितीय प्रशिक्षण माह अगस्त के तृतीय सप्ताह में।
3B	जिलास्तर	लेखाधिकारी संभाग/उपसंभाग	टी.ओ.टी. द्वारा। (टी.ओ.टी. का प्रशिक्षण मई माह के प्रथम सप्ताह में संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय भोपाल द्वारा)	1 दिवस	मई 2010 के तृतीय सप्ताह में । द्वितीय प्रशिक्षण माह अगस्त के अंतिम सप्ताह में।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

स. क्र.	प्रशिक्षण का स्तर	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षक	अवधि	प्रस्तावित दिनांक
1	2	3	4	5	6
4A	जनपद स्तर	ग्राम रोजगार सहायक एवं मेट्स को।	टी.ओ.टी. द्वारा। (टी.ओ.टी. को प्रशिक्षण मई माह के प्रथम सप्ताह में कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से. /परियोजना प्रबंधक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा।)	3 दिवस	तीन दिवसीय प्रशिक्षण माह मई 2010 के प्रथम सप्ताह में। द्वितीय प्रशिक्षण माह अगस्त के अंतिम सप्ताह में।
4B	जनपद स्तर	सरपंच/सचिव	टी.ओ.टी. द्वारा (टी.ओ.टी. को प्रशिक्षण मई माह के प्रथम सप्ताह में कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से./परियोजना प्रबंधक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा।)	1 दिवस	माह मई 2010 के द्वितीय सप्ताह में।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

: प्रशिक्षण की विषय वस्तु :

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक :**
   - 1.1 अभिसरण के माध्यम से मदों की जानकारी :
   - 1.2 योजना का क्रियान्वयन कलस्टर एप्रोच से एवं माननीय जिले के प्रभारी मंत्री एवं जिला योजना समिति से अनुमोदन।
   - 1.3 प्रथम वर्ष पारंपरिक रूप से स्वीकृति एवं उसके पश्चात डी.पी.आर. के द्वारा।
   - 1.4 कलस्टर का अनुमोदन/वॉकथ्रू सर्वे।
   - 1.5 फण्डफ्लो की व्यवस्था।
   - 1.6 क्रियान्वयन एजेन्सी, प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।
   - 1.7 खदानों का चिन्हांकन।
   - 1.8 अतिक्रमण मुक्त कराना।

2. **अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा**

   - 2.1 योजना क्रियान्वयन का स्वरूप/प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.) के मापदण्डानुसार सड़क कार्यों का निष्पादन।
   - 2.2 क्रियान्वयन एजेन्सी।
   - 2.3 प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अधिकारी
   - 2.4 सड़क एवं पुलिया के मानक क्रास सेक्शन।
   - 2.5 क्रियान्वयन के दौरान मिट्टी के लिये विभिन्न परीक्षण (पी.एम.जी.एस.वाय. प्रयोगशाला से)।
   - 2.6 मॉड्ल रोड़ का निर्माण जनरल मैनेजर पी.एम.जी.एस.वाय. के सहयोग से।
   - 2.7 पी.एम.यू. की स्थापना बाबत।
   - 2.8 मजदूरों एवं ठेकेदारों के भुगतान बाबत।
   - 2.9 कम्पलीशन रिपोर्ट।

3. **सहायक यंत्री एवं उपयंत्री :**

   - 3.1 प्राक्कलन तैयार करना/वॉकथ्रू सर्वे।
   - 3.2 योजना क्रियान्वयन का स्वरूप/प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.) के मापदण्डानुसार सड़क कार्यों का निष्पादन।
   - 3.3 क्रियान्वयन एजेन्सी।
   - 3.4 प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अधिकारी
   - 3.5 सड़क एवं पुलिया के मानक क्रास सेक्शन।
   - 3.6 क्रियान्वयन के दौरान मिट्टी के लिये विभिन्न परीक्षण (पी.एम.जी.एस.वाय. प्रयोगशाला से)।
   - 3.7 मॉड्ल रोड़ का निर्माण जनरल मैनेजर पी.एम.जी.एस.वाय. के सहयोग से।
   - 3.8 मजदूरों एवं ठेकेदारों के भुगतान बाबत।
   - 3.9 कम्पलीशन रिपोर्ट।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. लेखाधिकारी :

4.1 अभिसरण के माध्यम से मदों की जानकारी (Convergence Approch)
4.2 फण्डफ्लो
4.3 प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अधिकार
4.4 प्रोक्यूरमेन्ट प्रोसीजर।
4.5 मजदूरों एवं ठेकेदारों का भुगतान।

5. ग्राम रोजगार सहायक एवं मेट्स :

5.1 बारहमासी सड़क हेतु मजदूरों की व्यवस्था ।
5.2 मस्टररोल एवं जॉबकार्ड का संधारण।
5.3 कार्य स्थल प्रबंधन एवं निगरानी।
5.4 कार्य का पर्यवेक्षण।
5.5 कार्य स्थल पर सूचना फलक की सुनिश्चितता।
5.6 कार्य स्थल पर समूहों का गठन एवं कार्य का आवंटन।
5.7 कार्य स्थल पर मजदूरों के लिये आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवाना।
5.8 कार्य का माप एवं मजदूरी का बैंक खातों के माध्यम से भुगतान।

6. सरपंच एवं सचिव :

6.1 बारहमासी सड़क हेतु मजदूरों को कार्य पर आने हेतु अभिप्रेरित करना एवं रोजगार के आवेदन प्राप्त करना।
6.2 कार्य में किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो तो उसे दूर करवाना।
6.3 सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने में पटवारी के साथ आवश्यक सहयोग करना।
6.4 मस्टररोल एवं जॉबकार्ड का संधारण।
6.5 कार्य का पर्यवेक्षण।
6.6 कार्य स्थल पर सूचना फलक की सुनिश्चितता।
6.7 कार्य स्थल पर मजदूरों के लिये आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवाना।
6.8 कार्य का माप एवं मजदूरी का बैंक खातों के माध्यम से भुगतान।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional